प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 2 में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय रेल के क्रमश: वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जांच से प्राप्त मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं।

अध्याय 3 में उचंत लेखों के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय के लेखाकरण की प्रणाली और उचंत शेषों के निपटान हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता से संबंधित पहलू शामिल हैं।